बिहार सरकार
परिवहन विभाग

## अधिसूचना

संख्या- स्था0-42/94 परि0- 6067 पटना, दिनांक- 07/11/2014

मोटरवाहन अधिनियम, 1988 (एक्ट नम्बर-59 ऑफ 1988) की धारा-68 की उपधारा (1) के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (2) की द्वितीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल इससे संबद्ध अनुसूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अध्याय 5 द्वारा या उसके अधीन क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को प्रदत्त शक्तियों का यथा विहित प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन करने के लिए अनुसूची के स्तम्भ (2) में यथा विर्निदिष्ट क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष/सदस्य के रूप में अगले आदेश तक के लिए नियुक्त करते है ।

2. वे अनुसूची के स्तम्भ-3 में अंकित अपने-अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेंगे -

| क्रम सं. | प्राधिकार का नाम | क्षेत्र और मुख्यालय | क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के अध्यक्ष/सचिव एवं सदस्यगण |
|---|---|---|---|
| 1 | क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना | सम्पूर्ण पटना प्रमंडल मुख्यालय | 1. प्रमंडलीय आयुक्त, पटना- अध्यक्ष<br>2. संयुक्त आयुक्त सह सचिव- सदस्य सचिव<br>3. श्री बिपिन कुमार सिंह-गैर सरकारी सदस्य, पिता- श्री शिवनंदन सिंह, 403-D, शिवम् हैरिटेज, मजिस्ट्रेट कॉलोनी, पटना-14 |
| 2 | क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, गया | सम्पूर्ण मगध प्रमंडल मुख्यालय | 1. प्रमंडलीय आयुक्त, मगध- अध्यक्ष<br>2. संयुक्त आयुक्त सह सचिव- सदस्य सचिव<br>3. श्रीमती ज्योति देवी, माननीय विधान सभा सदस्या, बाराचट्टी, गया -गैर सरकारी सदस्य |
| 3 | क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर | सम्पूर्ण तिरहुत प्रमंडल मुख्यालय | 1. प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत- अध्यक्ष<br>2. संयुक्त आयुक्त सह सचिव- सदस्य सचिव<br>3.श्री डा0 कृष्ण कुमार सिंह -गैर सरकारी सदस्य, पिता- श्री रामसुन्दर प्रसाद, ग्रा0+पो0- भिखनपुर, थाना- अहियापुर, मुजफ्फरपुर |
| 4 | क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, भागलपुर | सम्पूर्ण भागलपुर प्रमंडल मुख्यालय | 1. प्रमंडलीय आयुक्त, भागलपुर- अध्यक्ष<br>2. संयुक्त आयुक्त सह सचिव- सदस्य सचिव<br>3. श्री मुरलीधर जोशी -गैर सरकारी सदस्य, पिता- श्री जगदीश दास, मो0- मुंडीचक, जी.वी.लेन, भागलपुर । |
| 5 | क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सहरसा | सम्पूर्ण कोशी प्रमंडल मुख्यालय | 1. प्रमंडलीय आयुक्त, कोशी- अध्यक्ष<br>2. संयुक्त आयुक्त सह सचिव- सदस्य सचिव<br>3. श्री अमरेन्द्र सिंह चन्द्रवंशी-गैर सरकारी सदस्य, पिता- स्व. कामेश्वर सिंह, ग्राम- गंगापुर, भरसोटोला, पंचायत- गंगापुर, पो0- सोनामुखी, प्रखंड- आलमनगर, जिला- मधेपुरा । |
| 6 | क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पूर्णियाँ | सम्पूर्ण पूर्णियाँ प्रमंडल मुख्यालय | 1. प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ- अध्यक्ष<br>2. संयुक्त आयुक्त सह सचिव- सदस्य सचिव<br>3. श्री अमोद कुमार-गैर सरकारी सदस्य, पिता- श्री बलवीर प्रसाद मंडल, पता- मिशन रोड, कालीबाड़ी भट्ठा बाजार, पूर्णियाँ । |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, दरभंगा | सम्पूर्ण दरभंगा प्रमंडल मुख्यालय | 1. प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा- अध्यक्ष<br>2. संयुक्त आयुक्त सह सचिव- सदस्य सचिव<br>3. श्री बलदेव राम -गैर सरकारी सदस्य, पिता- स्व. तुलसी राम, ग्राम-गड़िया,पो0- तारा मोहनपुर, थाना-सदर, जिला- दरभंगा । |
| 8 | क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण | सम्पूर्ण सारण प्रमंडल मुख्यालय | 1. प्रमंडलीय आयुक्त, सारण- अध्यक्ष<br>2. संयुक्त आयुक्त सह सचिव- सदस्य सचिव<br>3. श्री दुर्गा राम-गैर सरकारी सदस्य, पिता- धानाराम, ग्राम+पो0- चैनपुर, जिला-सिवान |
| 9 | क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर | सम्पूर्ण मुंगेर प्रमंडल मुख्यालय | 1. प्रमंडलीय आयुक्त, मगध- अध्यक्ष<br>2. संयुक्त आयुक्त सह सचिव- सदस्य सचिव<br>3. श्री ब्रज किशोर कुमार-गैर सरकारी सदस्य, पिता- स्व. भागीरथ प्रसाद सिंह, ग्राम+पो0- बड़हिया, वार्ड नं.-1(महिला कॉलेज के पास), जिला- लखीसराय |

3. (क) बिहार मोटर वाहन नियमावली के नियम 66 एवं 67 में प्रावधानित विहित प्रक्रियानुसार प्राधिकार द्वारा कार्य सम्पादन किया जायेगा ।

(ख) प्राधिकार की सभी बैठकों के लिए अनिवार्य होगा कि प्राधिकार के अध्यक्ष/ सदस्य द्वारा किस मामलें में क्या कहा गया, उसका शब्दश: उल्लेख बैठक की कार्यवाही में किया जायेगा ।

(ग) परमिट के लिए जो भी आवेदन नियमानुकूल हों तथा आवश्यक शर्त्तों को पूर्ण करते हों उन्हें आवेदन प्राप्ति के बाद आयोजित प्रथम बैठक में निश्चित रूप से निष्पादित किया जायेगा तथा निष्पादन के आधार / कारणों का स्वत: स्पष्ट आदेश दिया जायेगा ।

(घ) बैठक की कार्यवाही अगले दिन निर्गत की जायेगी तथा बैठक में हुए निर्णय को अविलम्ब लागू कर दिया जायेगा ।

4. सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों से अपेक्षा की जायेगी कि वे आम जनता की सुविधा को देखते हुए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप परिवहन परमिट सभी नियमों का पालन कर तत्परता से स्वीकृत करायेंगे ।

5. पूर्व निर्गत सभी अधिसूचना/ आदेश इस हद तक अवक्रमित किये जाते हैं ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के अपर सचिव,

बिहार, पटना ।

ज्ञापांक- स्था0-42/94 परि0- 6067 / पटना, दिनांक- 07/11/2014

प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना द्वारा-उप सचिव, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि गजट की 100 प्रतियाँ कार्यालय व्यवहारार्थ कृपया प्रेषित की जाय ।

सरकार के अपर सचिव,

बिहार, पटना ।

ज्ञापांक- स्था0-42/94 परि0- 6067 / पटना, दिनांक- 07/11/2014

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव, बिहार/ सदस्य, राजस्व पर्षद-सह-अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकार बिहार, पटना/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष, सभी विभाग, बिहार, पटना/ माननीय मंत्री, परिवहन के आप्त सचिव/प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/सभी गैर सरकारी सदस्य, राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी विभागीय पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, परिवहन विभाग/ सभी संयुक्त आयुक्त सह सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/ सभी जिला परिवहन पदाधिकारी/ सभी मोटरयान निरीक्षक/ सभी प्रवर्तन पदाधिकारी/ रक्षित संचिका/स्थापना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के अपर सचिव,

बिहार, पटना ।